सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 10.08.2026 को आई०एम०सी०, डोभी, गया जी के लिए दक्षिण बिहार के विभिन्न नहरों के किनारे मौजूद चार्ट लैंड एवं खाली पड़े भूमि का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्धारित मापदंड के अनुसार भूमि की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण :–

1. श्री निखिल कुमार, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, पटना।
2. श्री धर्मेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना।
3. श्री मनोज कुमार, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहारशरीफ।
4. मो० परवेज अख्तर, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गया।
5. मो० सोहैल अहमद अंसारी, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर।
6. श्री अर्जुन प्रसाद सिंह, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद।
7. श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी।
8. श्री आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (अभि०), पटना।
9. श्री अमरेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियंता, यो० एवं मो० अंचल–03, पटना।
10. श्री प्रशांत कुमार, अधीक्षण अभियंता, यो० एवं मो० अंचल–02, पटना।
11. श्री अभिषेक किशोर, अधीक्षण अभियंता, यो० एवं मो० अंचल–01, पटना।

समीक्षात्मक बैठक के क्रम में विमर्शित किये गये बिन्दुओं एवं दिये गये निदेशों की विवरणी निम्न है :–

- विभिन्न मुख्य अभियंता सिंचाई परिक्षेत्राधीन विभिन्न नहरों के किनारे मौजूद चार्ट लैंड एवं खाली पड़े भूमि की विवरणी उपलब्ध करायी गयी, जिसमें उपयुक्त एवं अनुपयुक्त भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण निदेश दिया गया कि अपने–अपने परिक्षेत्र से संबंधित उपलब्ध कराये गये नहर के चार्ट लैंड एवं खाली पड़े भूमि पर वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि का आंकड़ा देने के साथ अनुपयुक्त भूमि का कारण यथा पूर्व से वृक्षारोपण/जल जमाव/कृषि गतिविधियाँ/पूर्व से वन भूमि अधिसूचित/अतिक्रमण इत्यादि आंकड़े सहित विवरणी उपलब्ध कराया जाय (विहित प्रपत्र संलग्न)।

- नहर के चार्ट लैंड एवं खाली पड़े भूमि का विवरणी, लम्बित भूमि का म्युटेशन, उपलब्ध भू–अभिलेखों को डिजिटाइजेशन इत्यादि कार्य को संपादित करने हेतु संबंधित मुख्य अभियंता निदेशित किया गया।

- सभी मुख्य अभियंता सिंचाई अपने–अपने परिक्षेत्राधीन अभियान चलाते हुए नहर के किनारे विभागीय जमीन का म्युटेशन करवाने के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता अभिलेखों के साथ संबंधित अंचलाधिकारी के कार्यालय एवं इस संबंध में जिला पदाधिकारी को अवगत कराते हुए म्युटेशन हेतु आवेदन दिया जाय।

- मुख्य अभियंता परिक्षेत्राधीन कार्यालयों में उपलब्ध भू–अभिलेखों को डिजिटाइज्ड करने हेतु अभिलेखों को स्कैन कर संग्रहित कर लिया जाय तथा इसकी एक प्रति अभिलेखागार कार्यालय को भी समर्पित कर दिया जाय।

- विभागीय परिसंपत्तियों के आकडे संग्रहण हेतु Asset Management Portal पूर्व से विकसित है एवं इसका आई०डी० पासवर्ड सभी कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया गया है। कार्यरत Portal में आवश्यक संशोधन किया जाय ताकि मुख्य अभियंता परिक्षेत्राधीन कार्यालयों में उपलब्ध भू–अभिलेखों को सुगमता से अपलोड किया जा सके।

(अनुपालन–संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, पटना)

- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहारशरीफ द्वारा बताया गया कि नहर भूमि के किनारे विभागीय संयुक्तादेश संख्या 157 दिनांक 03.02.2023 द्वारा नहर एवं नदी तटबंध के चार्ट भूमि पर वृक्षारोपन आदेश निर्गत है।

इस क्रम में पूर्व से दिये गये निदेश की समीक्षा योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–01, पटना द्वारा करा लिया जाय ताकि भविष्य में नहर के रख–रखाव एवं सम्पोषण में कठिनाई नही हो।

(अनुपालन–अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–01)

- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, डिहरी द्वारा प्रतिदिन प्रगति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया। इस क्रम में प्रत्येक दिन नहरों के किनारे मौजूद चार्ट लैंड से संबंधित अद्यतन प्रगति मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई–मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहारशरीफ/गया/डिहरी/औरंगाबाद/भागलपुर/ कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, पटना)

(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव

ज्ञापांक : मो०–3–कार्य०–पी०–57/24– 1970 पटना, दिनांक : 14/08/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, नालंदा, बिहारशरीफ/गया/डिहरी/औरंगाबाद/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से संबंधित पदाधिकारियों को कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही कार्यपालक अभियंता, आई०टी० को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रषित।

अनु० :–यथोक्त।

(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव